संक्षिप्त समाचार

इश्क में नाकाम आशिक जान दे तो महिला को नहीं मान सकते दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। प्रेम संबंधों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर प्रेम असफल होने पर युवक आत्महत्या करता है, तो महिला को इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मृतक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमे महिला के साथ-साथ एक अन्य व्यक्ति को भी जिम्मेदार बताया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि अगर कोई कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, तो उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा, अगर एक प्रेमी प्यार के असफल होने पर आत्महत्या करता है, एक छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के लिए आत्महत्या करता है, केस खारिज होने के बाद अगर कोई क्लाइंट सुसाइड करता है, तो महिला, पर्यवेक्षक, वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार नहीं मान सकते। उन्होंने कहा, कमजोर मानसिकता वाले व्यक्ति की तरफ से लिए गए फैसले के लिए दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार नहीं बता सकते। अदालत ने महिला और एक अन्य पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। मृतक के पिता की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आवेदक महिला सुसाइड करने वाले शख्स के साथ प्रेम संबंध में थी। जबकि, दूसरा आवेदक उनका कॉमन फ्रैंड था। आरोप थे कि आवेदकों ने मृतक को यह कहकर उकसाया था कि उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए हैं और जल्दी एक-दूसरे से शादी करने वाले हैं। कोर्ट ने कहा वाटसएप चैट्स से प्रथम द्रष्टया पता चलता है कि मृतक संवेदनशील स्वभाव का था। आगे कहा कि जब भी महिला बात करने से मना करती थी, तब वह उसे आत्महत्या की धमकी देकर डराता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित सुसाइड नोट के तथ्य को ट्रायल के दौरान देखा जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आवेदकों की तरफ से कोई उकसावा किया गया था या नहीं।

गजब का म्यूचुल फंड: 10,000 के एसआईपी को बना दिया 78.32 लाख, निवेशक गदगद

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड में निवेश लंबी अवधि में हमेशा मुनाफा देता है। ज्यादातर समय देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश फायदेमंद रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही फंड के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। यह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड है।

निवेशकों को तगड़ा रिटर्न

बता दें कि अगर किसी निवेशक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में इसके शुरुआत यानी मई 2008 में एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो मार्च 2024 तक यह बढ़कर 9.6 लाख रुपये हो गया होता। इस हिसाब से उसने निवेशकों को 9 गुना से अधिक का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 2009 से अब तक सालाना 15.33 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से रिटर्न दिया है। बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड का एसआईपी रिटर्न भी शानदार रहा है। अगर किसी निवेशक ने इस फंड में 16 साल में 10,000 रुपये मंथली का एसआईपी किया होता। यानी करीबन 19 लाख रुपये का एसआईपी निवेश आज की तारीख में 78.32 लाख रुपये हो गया होता। इस दौरान इसका 16.15 प्रतिशत का रिटर्न रहा है। वहीं, बेंचमार्क में इसी निवेश पर केवल 14.30 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें कि सालभर में इस फंड ने 42.23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, बेंचमार्क ने इस दौरान केवल 34.97 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

आप ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी का किया ऐलान

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को होंगे। इसे लेकर बुधवार को एक आधिकारिक नोटिस जारी की गई। गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों का ऐलान किया। आप ने महेश खींची को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं रविंदर भारद्वाज डिप्टी मेयर के लिए आप के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है।

किसे मिला मौका?

गोपाल राय ने कहा, हर साल मेयर का चुनाव होता है। इस बार आप की तरफ से महेश खींची उम्मीदवार होंगे। वह करोल बाग विधानसभा में देव नगर वार्ड- 84 से पार्षद हैं। यह काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर से इन्होंने आप के लिए काम किया है। सबसे पहले महेश खींची आप में बूथ अध्यक्ष बने थे। फिर वार्ड अध्यक्ष बने। इन्होंने दिल्ली के अलावा आप के लिए कई राज्यों में चुनाव कैंपेन किया है। इसे देखते हुए पार्टी ने इन्हें देव नगर वार्ड से उम्मीदवार बनाया था। यहां से जीतकर यह पार्षद बने। उनके काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें इस सत्र के लिए मेयर उम्मीदवार बनाया है।

कब होगी वोटिंग?

दिल्ली नगर निगम के नगर सचिव के कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर बताया कि दिल्ली नगर निगम की बैठक 26 अप्रैल, 2024 को सुबह 11 बजे अरुणा आसफ अली सभागार ए-ब्लॉक, चौथी मंजिल, एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग न्यू में होगी। इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होगा।

आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख

मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है। एमसीडी अधिकारियों ने कहा कि इस साल मेयर का पद अनुसूचित जाति के पार्षदों के लिए आरक्षित है। बता दें कि पूर्वी पटेल नगर से आप पार्षद शैली ओबेरॉय पिछले साल फरवरी और अप्रैल में हुए पिछले दो चुनावों में मेयर चुनी गई थीं। गौरतलब है कि मेयर चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 250 पार्षद, दिल्ली के सात लोकसभा सदस्य, तीन राज्यसभा सांसद, दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित 14 विधायक शामिल हैं। जबकि दस एल्डरमैन के पास सदन की कार्यवाही में मतदान करने की शक्ति नहीं है। आप को 134 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद, तीन राज्यसभा सदस्यों और 13 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विपक्षी भाजपा ने 104 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद, सात लोकसभा सदस्यों और एक विधायक के समर्थन का दावा किया है। कांग्रेस के नौ पार्षद हैं और एक पार्षद निर्दलीय है। इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की अनुमति है और दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं।

पिछले साल कौन बना था मेयर?

पिछले साल आप ने शैली ओबेरॉय और आले मुहम्मद इकबाल को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार बनाया था। भाजपा उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद आप प्रत्याशी मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए। बता दें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिल्ली को नया मेयर मिलता है। इस बार का चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है।

बिस्तर पर पड़ी थी मां और मामा की लाश, सामने बैठा था दो साल का मासूम; दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पति ने पारिवारिक विवाद में पत्नी और नाबालिग साले की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी। इनकी पहचान शकरपुर स्थित गली संख्या तीन निवासी 30 वर्षीय कमलेश होलकर और 17 वर्षीय रुद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार, शकरपुर थाने में बुधवार सुबह करीब 10-11 बजे झगड़े की पीसीआर कॉल मिली थी।

कॉलर रामबीर सिंह ने बताया कि कुछ लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि कमलेश और उनके भाई की मौत हो चुकी है। महिला का पति श्रेयांश फरार था। कुछ समय बाद आरोपी पति ने आत्मसमर्पण कर जुर्म कुबूल कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने क्राइम और एफएसएल की टीमों को भी मौके पर बुलाया। सभी ने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में हत्या की वजह पति-पत्नी के बीच पारिवारिक झगड़े सामने आए हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ सहज नहीं थे और छोटी-छोटी बातों पर अक्सर झगड़ते रहते थे। मृतकों के शरीर पर पेचकस के अलावा अन्य चोटें भी पाई गई हैं। फिलहाल, पुलिस आरोपी पति, परिजनों, पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। इमारत के भूतल पर ददिया सास-ससुर, प्रथम तल पर सास-ससुर और दूसरे तल पर श्रेयांश और कमलेश का परिवार रहता था। महिला यूपी के साहिबाबाद स्थित एक विद्यालय में शिक्षिका थी।

गलती से भी मोदी की सरकार बनी तो.., आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा को घेरा

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश के संविधान और आरक्षण को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशंका जताते हुए कहा कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो वो देश के संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जब पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आशंका उत्पन्न हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में यह बात लगातार दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव और इसके बाद गलती से अगर मोदी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे।

वो चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, किसान और महिलाओं के अधिकार छीन लेंगे। यह धारणा काफी मजबूत हो रही है और इसके कई उदाहरण हैं कि आखिर क्यों यह धारणा सभी के मन में मजबूत हो रही है। देश के गृहमंत्री ने एक बयान में कहा था कि 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। आखिर क्या योजना है उनके मन में? कहां से आई यह बात? चुनाव कौन जीतेगा या हारेगा यह तो जनता तय करती है। संजय सिंह ने आगे कहा, इनके आरएसएस के एक बड़े प्रमुख नेता हैं मोहन वैद्य। साल 2017 में उन्होंने कहा था कि देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। देश के लिए लोगों के लिए संविधान वो है जो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने लिखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान है जो आरएसएस के प्रमुख ने लिखा। उनको देश के संविधान में आस्था नहीं है। क्योंकि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। नागपुर का संविधान भाजपा पर लागू होता है देश का संविधान उनपर लागू नहीं होता है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक रैली में दिए गए उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पीएम ने कहा था कि मैं तो क्या स्वयं बाबा साहब भी देश के संविधान को नहीं बदलेंगे। संजय सिंह ने कहा, बाबा साहब संविधान को क्यों बदलेंगे...इसका मतलब है कि बदलाव की मंशा आपके, आरएसएस और संघ के मन में है। इसलिए देश के गृहमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि 50 साल तक देश पर राज करेंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा रशिया के पुतिन और किम जोंग का राज हो जाएगा तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के बड़े-बड़े नेता और उनके लोकसभा उम्मीदवार जनता से कह रहे हैं कि हमें एक-तिहाई बहुमत दे दो। हमें संविधान बदलना है। देश की 140 करोड़ जनता को अब सावधान हो जाना चाहिए।

सहेली को पीजी बुलाया, देर तक बातें कीं फिर दूसरी मंजिल से कूदी; मुखर्जी नगर में छात्रा सुसाइड की क्या वजह

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार तड़के एक छात्रा ने पीजी की इमारत की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जांच में मौत की वजह पढ़ाई का दबाव और दोस्त से झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय स्वाति बीते आठ-नौ साल से मुखर्जी नगर इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी।

स्वाति के पिता नागेंद्र परिवार सहित मेरठ के बढ़ला गांव में रहते हैं। वह खेती करके आजीविका चलाते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वाति ने मंगलवार रात को अपनी सहेली प्रियम को अपने पीजी में बुलाया। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं। इसके बाद अचानक स्वाति ने सहेली के सामने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। प्रियम ने आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी। घायल स्वाति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वाति यूट्यूब चैनल भी चलाती थी। वह विभिन्न विषयों पर रील बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। उधर, इस हादसे के बाद पीजी में रहने वाली छात्राएं सदमे में हैं। उनका कहना था कि स्वाति को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह आत्महत्या कर सकती है। उसका व्यहवार सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। वहीं, पुलिस पीजी संचालकों और छात्रा के बाकी सहपाठियों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस ने शव बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सहेली प्रियम का बयान दर्ज कर लिया गया है।

रोज एक अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करें चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का आदेश

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को रोजाना एक सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने, मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत करके दवाओं और खाने वाली चीजों की कमी पर फर्स्टहैंड (प्रत्यक्ष) प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने बुधवार को मुख्य सचिव को यह निर्देश देते हुए रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एक बयान में, भारद्वाज ने कुमार के हालिया स्पष्टीकरण - कि विभागों की सभी रूटीन फाइलें उनके जरिए नहीं भेजी जाती हैं, जिसके कारण वह दवाओं और खाने वाली चीजों की उपलब्धता की निगरानी नहीं कर सकते - को इस मामले पर एक बहाना बताया। मंत्री ने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मुफ्त दवाओं की बेहद कमी है, जबकि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि हर मरीज को सभी आवश्यक दवाएं या उनके उपयुक्त विकल्प मिल रहे हैं। 8 अप्रैल की एक बैठक का जिक्र करते हुए, भारद्वाज ने एक फाइल नोट में कहा कि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने उन्हें बताया था कि सभी दवाएं उपलब्ध हैं, और यदि कुछ नहीं है, तो उनके विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न नियमों का सहारा लेने की बजाय वे व्यक्तिगत रूप से रोजाना दिल्ली सरकार के एक अस्पताल और एक मोहल्ला क्लिनिक का ओपीडी (बाहरी रोगी विभाग) के समय- सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के दौरान दौरा करें।

यूएनएससी में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता?

वाशिंगटन, 18 अप्रैल (एजेंसी)। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है।

यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की कमी के बारे में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान के बारे में पूछे जाने पर वेदांत पटेल ने कहा, राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है और सचिव ने भी इस ओर इशारा किया है। हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं, ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया, जिसमें हम रह रहे हैं, को प्रतिबिंबित किया जा सके। वे कदम क्या हैं, इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से, हम इसे स्वीकार करते हैं। सुधार की आवश्यकता है। जनवरी में एलन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा, कुछ बिंदु पर, संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है। समस्या यह है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है। अफ्रीका को सामूहिक रूप से आईएमओ की एक स्थायी सीट भी मिलनी चाहिए। भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है।

ब्राजील में शव को व्हीलचेयर पर लेकर बैंक पहुंची महिला

2.71 लाख का लोन साइन करवाना चाहती थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

रियो डी जनेरियो, 18 अप्रैल (एजेंसी)। ब्राजील में एक महिला 68 साल के एक व्यक्ति का शव लेकर बैंक पहुंच गई। वो इस शव के जरिए 2.71 लाख का लोन लेना चाहती थी। एरिका डिसूजा न्यून्स नाम की महिला उस शव को अंकल कह रही थी। पुलिस ने एरिका को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो की है।

दरअसल, मंगलवार (16 अप्रैल) को एरिका व्हीलचेयर पर एक बुजुर्ग को लेकर बैंक पहुंची। बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं दिख रही थी, और उनका सिर लगातार कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक जा रहा था। महिला बार-बार हाथ से सिर सीधा करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद एरिका ने बुजुर्ग के हाथ में पेन पकड़ाने की कोशिश की। वो बार-बार उनसे पेपर पर साइन

करने के लिए कह रही थी। सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हुए वीडियो के मुताबिक, एरिका कहती है, अंकल आप सुन रहे हैं। आपको पेपर पर साइन करने की जरूरत है। नहीं तो हमें लोन नहीं मिल पाएगा। मैं आपकी जगह साइन नहीं कर सकती। इस पर एरिका उन्हें बताती है कि उसके अंकल ऐसे ही रहते हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं। एरिका बुजुर्ग की तरफ देखकर कहती है, अगर आपकी तबियत ठीक नहीं है, तो आपको वापस अस्पताल जाना होगा। महिला की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं होता है। इसके बाद वे पुलिस को सूचना देते हैं। मामले की जांच के बाद बुधवार को पुलिस ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर एरिका को गिरफ्तार कर लिया। शव को मुर्दाघर भेजा गया है। पुलिस चीफ फैबियो लुइज-सूजा ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को बताया कि फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक, बुजुर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी। एरिका यह बात पहले से जानती थी। पुलिस के मुताबिक, एरिका शव को लेकर बैंक पहुंची, ताकि वहां अधिकारी बुजुर्ग की खराब हालत देकर जल्दी लोन अप्रूव कर दें। हालांकि, एरिका के वकील ने दावा किया है कि बुजुर्ग की मौत बैंक में ही हुई। एरिका को इसकी कोई खबर नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सच में एरिका बुजुर्ग की भतीजी है या नहीं। इसके अलावा उनके परिवार के दूसरे लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।

फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट ने ऐसा क्या कर दिया कि चुनाव आयुक्त के पास पहुंची शिकायत

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और टाटा समूह की इकाई बिगबास्केट के खिलाफ तमिलनाडु राज्य चुनाव आयुक्त बी कोठी निर्मलसामी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। इन कंपनियों ने मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल को भी राज्य में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के जरिये सामान की डिलीवरी करने की बात कही है। जबकि उस दिन मतदान होने की वजह से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।बुधवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयुक्त बी कोठी निर्मलसामी के समक्ष दायर शिकायत में चेन्नई हाईकोर्ट के वकील के नरसिम्हन ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव के दिन 19 अप्रैल को छुट्टी होने की घोषणा के बावजूद फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट ऑर्डर की गारंटीकृत डिलीवरी का वादा कर रही हैं। नरसिम्हन ने कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 19 अप्रैल को 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881' की धारा 25 के तहत आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुकानों,

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आईटी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 19 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य कर दिया है। शिकायत में कहा गया है, 'निर्देश के बावजूद यह हमारे संज्ञान में आया है कि फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी मंच 19 अप्रैल को डिलीवरी सेवाओं की गारंटी दे रही हैं। यह डिलीवरी कर्मियों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है, खासकर उन लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जो इन मंचों के परिचालन के अभिन्न अंग हैं।' शिकायतकर्ता ने मतदान के दिन गारंटीकृत डिलीवरी के ई-कॉमर्स के दावों की जांच करने और सभी श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है, चाहे उनका मूल राज्य कुछ भी हो। संपर्क करने पर फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह केवल पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टियां दे रही है। फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा, 'फ्लिपकार्ट समूह में हम मतदान दिवस के संबंध में अधिकारियों की ओर से दिए गए सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी पात्र कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दे रहे हैं।